अध्यक्ष महोदय

असंशोधित

1 2 MAR 2003

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बि० स० मु० (एस० ए०) 173—पोमी—500—16-12-2002—

-3%कृष्णा/13-3-03

अल्प सूचित प्रश्न संख्या- 12 पर पूरक क्रमशः

श्री सुशील कुमार मोदी, नेता, विरोधी दल- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार को जो राशि मिलती है उसको समय पर खर्च नहीं करती थी और उसको सिविल डिपोजिट में जमा कर देती थी। तो क्या इसी अक्षमता के कारण इसे बनाने का जिम्मा बिहार सरकार को न देकर/वापकोस को बनाने का जिम्मा दे दिया और क्या सभी विभागों में केन्द्र सरकार इसी प्रकार से काम करेगी ?

अध्यक्ष- यह पूरे हिन्दुस्तान की बात है।

श्री सुशील कुमार मोदी, नेता, विरोधी दल- महोदय, /वापकोस की आवश्यकता यहां क्यों पड़ी ?

श्री जगदानन्द सिंह (मंत्री)- माननीय नेता, विरोधी दल का सवाल हो गया, अब मुझे उसका उत्तर तो देने दीजिये।

भारत सरकार सहयोग करना चाहती है और आप सहयोग न लें। भारत सरकार ने बिहार सरकार की प्रशंसा की है। बिहार सरकार ने जितना आगे बढ़ कर लोगों को सहयोग दिया और सहयोग लेने की बात कर रहे हैं। देश के अन्य प्रांतों से अलग नहीं है। महोदय, मेरा कहना है कि यदि भारत सरकार समझती है कि कोई ऐसा इलाका जो यूनिक इलाका हो जहां इरीगेशन और ड्रेनेज के प्रोब्लेम्स संबंधित हों, वह अपने आप में एक आईडियाज बने और एक आईडिया के लिए उस क्षेत्र में कामकरे। अब हम उनको रोक दे, वह भी देश की संवैधानिक सरकार है।

अल्प सूचित प्रश्न संख्या- 13

श्री अवध बिहारी चौधरी (मंत्री)- 1- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 18 दिसंबर, 2002 को निर्गत आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किये जानेवाले ... 4 सांसद (लोक सभा) एवं राज्य क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करनेवाले एक सांसद सदस्य (राज्य-सभा) ... सदस्य के रूप में होंगे। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा नामित किये जानेवाले दो विधायक सदस्य के रूप में होंगे। इस ... 4 लोक सभा

सदस्य, । राज्य सभा सदस्य(केन्द्र द्वारा नामित)एवं दो विधायक(राज्य सरकार द्वारा नामित)को राज्य स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में रहने का प्रावधान है।

खंड-2 वस्तुस्थिति उपरोक्त कंडिका में वर्णित है।

खंड-3 केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को हिफाजत को ध्यान में रखते हुए ही समिति का पुनर्गठन की है। समिति के गठन में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

श्री सुशील कुमार मोदी, नेता, विरोधी दल- इसके चेयरमैन कौन हैं ?

श्री अवध बिहारी चौधरी(मंत्री)- स्टेट लेवल कमिटी के चेयरमैन ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हो जायेंगे।

श्री सुशील कुमार मोदी, नेता, विरोधी दल- अध्यक्ष कौन होंगे ?

श्री अवध बिहारी चौधरी(मंत्री)- लोक सभा के सदस्य उसके अध्यक्ष होंगे ।

श्री रामदेव वर्मा- अध्यक्ष महोदय, राज्य स्तरीय समिति की जो बात इन्होंने की है उसके संबंध में मुझे मात्र दो पूरक प्रश्न पूछने हैं । महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि राज्य के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग आता है। इसके विकास कार्य राज्य सरकार को देखना है और सुपरवाईज करने का काम धीरे-धीरे केन्द्र सरकार कर रही है तो क्या राज्य सरकार को जो दिये गये अधिकार हैं उसमें यह इन्टरफेयरेंस हैं या नहीं ?

श्री अवध बिहारी चौधरी(मंत्री)- महोदय, जो प्रश्न है और पूर्व में जो निगरानी समिति बनी थी, बहुत ही अच्छे तौर-तरीके से यह समिति गठित हुई थी जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव आयोग द्वारा रीकॉगनाईज्ड हैं, उसके प्रतिनिधि थे।

- क्रमशः :

श्री अवधबिहारी चौधरी (मंत्री): (क्रमशः) महोदय, उस कमिटी के पूर्व में जो कमिटी बनी थी उसमें सभी राजनीतिक पार्टी और सभी माननीय विधायक थे, लेकिन उसको खत्म करके फिर नये सिरे से भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा बिना राज्य सरकार के परामर्श के उनलोगों ने नयी समिति का गठन किया, जिसमें महोदय, लोकसभा के जो उस क्षेत्र के सदस्य हैं, वे अध्यक्ष बने हुए हैं और उसी क्षेत्र के कोई दूसरे एम0पी0 हैं तो वे उपाध्यक्ष बने हुए हैं। राज्यसभा के जो माननीय सदस्य हैं उन लोगों को उसमें नहीं रखा गया है और राज्य सरकार से किसी तरह की राय नहीं ली गयी है।

अध्यक्ष: कलक्टर उसके सचिव हैं।

श्री अवधबिहारी चौधरी (मंत्री): जी, कलक्टर साहब उसके सचिव बने हुए हैं। महोदय इतना ही नहीं, महोदय मैं आपके माध्ययम से माननीय सदस्य और सदन को बतलाना चाहता हूँ कि निश्चित ही राज्य सरकार के द्वारा जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सामूहिक पैसे से जो विकास कार्यक्रम गांवों में हो रहे हैं उस कार्यक्रम का कार्यान्वयन पारदर्शी रूप से हो। इसमें केन्द्र सरकार के द्वारा निश्चित ही अतिक्रमण किया गया है और राज्य सरकार के जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनको इस समिति में ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जबकि महोदय झारखंड के जो एम0पी0 हैं, वे बिहार के जिलों में अध्यक्ष बने हुए हैं, एक-एक एम0पी0 चार-चार जगह बने हुए हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि सिवान के सांसद अध्यक्ष नहीं हैं, दूसरे इलाके का आदमी अध्यक्ष बना हुआ है। निश्चित हीं केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारों का इस तरह से अतिक्रमण किया है।

अध्यक्ष: बर्मा जी, आप पूरक पूछिए।

श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, ये जो समिति बनाने की बात है, वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है और जो अनुश्रवण समिति है वह टोटल ग्रामीण विकास का है। मंत्री जी गलतबयानी करके सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अवधबिहारी चौधरी (मंत्री): महोदय, सरकार जवाब सही दिशा में दे रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अनुश्रवण के लिए यह कमिटी नहीं है, केन्द्र प्रयोजित को कार्यक्रम हैं, जो योजनाएँ हैं, उसके अनुश्रवण और निर्णय के लिए यह समिति है।

श्री रामदेव वर्मा: अध्यक्ष महोदय ,मैंने जो सवाल किया स्टेट कंक्रेंट लिस्ट में ,ग्रामीण डेवलपमेंट पड़ता है हमारा रूरल डेवलपमेंट, इस हालात में केन्द्र सरकार ने जो इंटरफेअर किया है, राज्य हित में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन -सा कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है ?

अध्यक्ष: वर्मा जी, आप बैठिए । माननीय सदस्य श्री रामदेव वर्मा जी ने जो पूछा है,मंत्री जी यह बतायें कि केन्द्र सरकार ने यह जो समिति बनाई तो बिहार के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आप कौन--सा कदम उठा रहे हैं ?

श्री रामदेव वर्मा: महोदय, स्टेट के राइट का सवाल है,स्टेट कंक्रेंट लिस्ट में रूरल डेवलपमेंट हमारा है,कंस्टीट्यूशनल राइट का सवाल है ।

श्री अवधबिहारी चौधरी (मंत्री): महोदय, मैंने पूर्व में ही कहा.........

(व्यवधान)

श्री अवध बिहारी चौधरी (मंत्री) : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का जवाब मैं निश्चित दूँगा और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बड़ा भारी इंटरफेरेंस है स्टेट के माननीय विधायकों के कार्यों में, उनकी जो जिम्मेवारी है उसमें इंटरफेरेंस है ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार से अनुश्रवण सतर्कता निगरानी समिति बनाते वक्त केन्द्र सरकार की ओर से किसी तरह की राय नहीं ली गई । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि निश्चित ही इस संबंध में बिहार सरकार केन्द्र सरकार को पत्र लिखेगी कि इस समिति में संशोधन हो और राज्य के माननीय विधायकों को ज्यादा-से-ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाय तथा इस समिति (में) अध्यक्ष की जिम्मेवारी इनको दी जाय । महोदय, इस संबंध में राज्य सरकार भारत सरकार को पत्र लिखेगी ।

श्री रामदेव वर्मा : महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है ।

अध्यक्ष : आखिरी पूरक आप पूछिये ।

श्री राम देव वर्मा : महोदय, सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है । मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से इतना ही जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार, राज्य-हित की हिफाजत के लिए केन्द्र सरकार के इस निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है ? हाँ या ना में जवाब दें ।

श्री अवध बिहारी चौधरी (मंत्री) : महोदय, अगर माननीय सदस्यों का और सदन की राय हो तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार के द्वारा जो यह कमिटी बनाई गई है, अगर सहमति हो तो राज्य सरकार इसको अमान्य करने के लिए तैयार है ।

अध्यक्ष : माननीय नेता, विरोधी-दल ।

(व्यवधान)

श्री अवध बिहारी चौधरी (मंत्री) : महोदय, यदि सदन की सहमति हो तो हम यह जो समिति बनाई गई है उसको अमान्य करने के लिए तैयार हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति । आपलोग बैठ जाइये ।

श्री रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री) : महोदय, सदन की यदि राय है तो वह जो समिति बनी है, उसको अमान्य कर दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष : आप बैठिये न ।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी-दल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि जो पहले समिति थी, जिसका 1995 में, जिसके बारे में सूचना अक्टूबर में भारत सरकार ने भेजा....

(व्यवधान)

सुना जाय न । महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि पहले जो समिति थी, अनुश्रवण के लिए राज्यस्तरीय समिति, उसमें कोई विधायक नहीं थे और न कोई सांसद थे, उसमें केवल राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसमें आमंत्रित थे, पहली बात ?

दूसरी बात, क्या यह बात सही है कि अभी जो समिति है, पहले वाली समिति में चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष होते थे और अभी की समिति में ग्रामीण विकास मंत्री अध्यक्ष होंगे, चार सांसद, एक राज्य सभा के सदस्य और दो विधायक होंगे । महोदय, मंत्री जी ने गलत-बयानी किया कि राज्यस्तरीय समिति में कोई विधायक पहले नहीं थे । जिलास्तरीय समिति जो होगी उसमें सारे विधायक और सांसद होंगे ।

महोदय, क्या यह बात सही है कि इसके पहले जो समिति थी उसका आजतक बिहार सरकार ने गठन नहीं किया और न आज तक राज्यस्तरीय समिति की बैठक हुई है ? आपने कोई बैठक नहीं किया और न गठन ही किया पिछले 5 साल के अन्दर ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है ।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष : इसतरह से हम कितने लोगों का बात सुन सकेंगे ? एक साथ कई माननीय सदस्य खड़े हैं । एक-एक करके आपलोग बोलिये ।

श्री रामदेव वर्मा : सभापति महोदय, आसन से हम स्पष्ट रूपसे जानना चाहते हैं कि स्टेट का जो राईट है, जो स्टेट कंकरेंट लिस्ट में रूरल डेवलपमेंट लिस्ट है, अगर कोई अधिकार छिनता है, मंत्री जी आज जो सदन में इजाजत ले रहे हैं, इनकी कोई जवाबदेही बनती है या नहीं ?

अध्यक्ष : इनको तो स्वयं अधिकार है ।

माननीय सदस्य, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी ।